CONTENTS

No 2—*Friday, March* 17, 1967 *Phalguna* 26, 1888 (*Saka*)

	COLUMNS
Members Sworn	21—22
Election of Speaker	22—54
Felicitations to Speaker	54—74
Shrimati Indira Gandhi	54—56
Shri M.R. Masani	56—74
Shri A.B Vajpayee	56—57
Shri K. Anbazhagan	57—60
Shri S.A. Dange	60
Shri Ram Sevak Yadav	60—61
Shri A.K. Gopalan	61—62
Shri Surendranath Dwivedy	62—63
Shri N.C. Chatterjee	63—64
Shri Ebrahim Sulaiman Sait	64—65
Shri Prakash Vir Shastri	65—67
Shri Frank Anthony	67—69
Dr. Govind Das	69—71
Shri Tenneti Viswanatham	71—74

2684 (Ai) LSD—1.

LOK SABHA

Friday, March 17, 1967/Phalguna 26, 1888 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[THE SPEAKER *pro tem* (*Dr. Govind Das*) *in the Chair*]

MEMBERS SWORN

अध्यक्ष महोदय : सचिव उन सदस्यो के नाम पुकारें, जिन्होंने अभी तक शपथ नही ली है अथवा प्रतिज्ञान नही किया है ।

Shri N. Sreekantan Nair (Quilon): It may be translated in English also. The practice is that when the Chair makes an observation, it should be translated in English also.

Mr. Speaker: I think Members are aware that there is an arrangement here for simultaneous translation from Hindi to English and from English to Hindi. Does the hon. Member want that I should speak in English also?

Shri N. Sreekantan Nair: The Chair is expected to maintain the practice and the decorum as it used to do in the past.

Mr. Speaker: Does he want me to speak in English too?

Shri N. Sreekantan Nair: Yes.

Mr. Speaker: Secretary may call out the names of Members who have not yet made and subscribed the oath or affirmation.

Shri Kotha Raghuramaiah (Guntur)

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj).

Shri Virendrakumar Jivanlal Shah (Junagadh).

Shri P. K. Vasudevan Nair (Peermade)

Shri V. Sambasivam (Nagapattinam).

Shri Srinibas Mishra (Cuttack).

Shri Bhola Nath (Alwar).

Shri Ashoke Kumar Sen (Calcutta North-West).

Shri M. L. Sondhi (New Delhi)

Shri Frank Anthony (Nominated—Anglo-Indians).

11.09 hrs.

ELECTION OF SPEAKER

अध्यक्ष महोदय : डा० राम सुभग सिह अब अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करे, जो उनके नाम मे है ।

Dr Ram Subhag Singh may now move the motion which stands in his name.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (*Interruptions*). चौथी लोक सभा का प्रारम्भ व्यवस्था के प्रश्न के बिना नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय मेरी राय में संसदीय प्रणाली के सिद्धान्तों को मद्देनजर रखते हुए डा० राम सुभग सिह यह प्रस्ताव सदन

[श्री मधु लिमये]

के सामने नही रख सकते हैं और उन को नहीं रखना चाहिये। आप के मार्फत मैं कुछ परम्पराओ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हू। मैं ने पिछली तीन लोक सभा की कार्यवाहियो को देखा और पहली लोक सभा मे दो नाम अध्यक्ष पद के लिए पेश हो गए थे। एक मावलकर जी का नाम था और दूसरा श्री शकर राव मोरे का था। उस वक्त भी मैं ने देखा कि मावलकर जी का प्रस्ताव प्रधान मत्री ने रखा था और उस की ताईद सत्यनारायण सिन्हा ने की थी। (व्यवधान) मेरे पास किताब है। तो अब मैं आप का ध्यान मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस की ओर दिलाना चाहता हू। पृष्ठ 28। आप देख लीजिये। किताब मगवा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं पढ रहा हू मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस। 7वी एडीशन से

> "Election of a Speaker by the Commons: It is customary for the Mover and Seconder to be unofficial members In 1789, Mr Pitt was desirous of proposing Mr Addington himself But Mr. Hatsell on being consulted said 'I think that the choice of the Speaker should not be on the motion of the Minister Indeed, an invidious use might be made of it to represent you as the friend of the Minister rather than the choice of the House' Mr Pitt acknowledged the force of this objection"

तो इसलिए मेरा निवेदन है कि ससद कार्य मत्री इस प्रस्ताव को न रखें। हमेशा संसदीय प्रणालियो की बात की जाती है और हमारे ऊपर बराबर आरोप लगाया जाता है कि मैं और मेरे साथी ससदीय प्रणालियो को खत्म कर रहे हैं, उस का करारा जवाब मतदाताओ ने तो दिया है, उस के बारे मे तो मैं कुछ कहना नही चाहता हूं. (व्यवधान) अब आप को जरा सुनने की आदत डालनी चाहिए। अब वह राक्षसी बहुमत आप का नही रह गया है। देश में बहुमत हम लोगों का है। यह केवल एक दुर्घटना है कि यहां पर आप लोगो का बहुमत हो गया।

तो अध्यक्ष महोदय, ससदीय प्रणालियो को कौन भग कर रहा है? इस लोक सभा के सत्र के पहले मैं ने प्रधान मत्री को एक चिट्ठी लिखी थी और अध्यक्ष महोदय के पद की जितनी कदर मैं करता हू, जितनी इज्जत मैं करना चाहता हू शायद ही काग्रेस पार्टी का कोई सदस्य चाहता है, इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रधान मत्री से प्रार्थना की थी कि अध्यक्ष पद के लिए आप किस व्यक्ति का नाम देती हैं उस से मुझको मतलब नही है। आप बात चीत करना चाहती है विरोधी दलो से तो करिए लेकिन बात चीत का नाटक मत करिए। मुझे खेद है कि बातचीत का नाटक किया गया कि सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया जायगा और फिर बाद मे क्या हुआ? काग्रेस पार्टी के अन्दर विभिन्न गुटो मे जो कशमकश है उसी के प्रभाव मे आकर . (व्यवधान)

The Minister of Works, Housing and Supply (Shri Jaganath Rao): This is not a point of order (*Interruptions*)

Shri S M Banerjee (Kanpur)· Let them hold their souls in patience (*Interruptions*).

Shri Krishna Kumar Chatterjee (Howrah) On a point of order Can he deliver a speech on this occasion?

अध्यक्ष महोदय शात होइए।

श्री मधु लिमये प्वाइट आफ आर्डर चल रहा है तो उस पर प्वाइट आफ आर्डर कैसे हो सकता है?

अध्यक्ष महोदय शात होइए।

श्री मधु लिमये अब यह चीज नही चलने वाली है। आप शांति से

सुन लिया करो और हमारी जो दलीलें हैं अगर आप लोगों में बुद्धि और हिम्मत है तो उन का जवाब दीजिये । हल्ला करने से काम नहीं बनता है . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांत रहिए । आप लोगों को बोलना होगा तो मैं आप को इजाजत दूंगा बोलने की । उनको बोलने दीजिए ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं ने पांच सुझाव प्रधान मंत्री के सामने रखे और मैं ने यह कहा था कि ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाइए, चाहे वह जिस किसी दल का हो, जो अध्यक्ष बनने पर अपने दल से इस्तीफा दे और कहे कि मैं इस सदन के हरएक सदस्य के अधिकारों की रक्षा करूंगा, मैं किसी भी दल का आदमी नहीं हूं मैं पूरे सदन का हूं । और दूसरी बात मैंने यह कही थी कि अगर वह दोबारा चुनाव लड़ना चाहेंगे पांचवां चुनाव तो हम सभी विरोधी दल के लोग उन के खिलाफ कोई उम्मीदवार न खड़ा करेंगे अगर वह निर्दलीय उम्मीदवार के नाते लड़ेंगे तो । तीसरी बात मैं ने यह कही थी कि अध्यक्ष के पद का आप नीलाम मत कीजिए । भूतपूर्व अध्यक्ष श्री अनन्त शयनम आयंगर को आप ने राज्यपाल बनाया तो क्या वजह है कि हमारे सरदार हुकम सिंह साहब ने क्या अपराध किया है, उन को भी बनाते लेकिन अच्छी बात यह होती कि आप अनन्त शयनम आयंगर को भी हटाइए और आइन्दा से यह कानून बनाइए कि चूंकि अध्यक्ष का पद सब से ऊंचा पद है । वह जनता के जो प्रतिनिधि हैं उन का भी सभापति है । इसलिए जो एक दफा अध्यक्ष बनता है उस को अपने दल के मातहत रखने के लिए वह रिश्वत न दी जाय उस को उपराष्ट्रपति बनाने की या राज्यपाल बनाने की । चौथी बात यह कि वर्तमान विवादों में हिस्सा न लें । पांचवीं बात मैं ने यह कही थी कि उस को आप पेंशन दीजिए ताकि वह इज्जत से रहे और किसी का गुलाम न बने । . . (व्यवधान) . . एक हजार से ज्यादा, नहीं, वह तो हमारा सिद्धान्त है ही ।

तो इस तरह के सुझाव प्रधान मंत्री के सामने मैं ने दिए । लेकिन क्या नतीजा हुआ ? विरोधी दलों के साथ सलाह मशवरा करने का नाटक किया गया और अन्दरूनी झगड़ों की वजह से प्रधान मंत्री ने संजीव रेड्डी का नाम एनाउन्स कर दिया लेकिन कम से कम इतना तो लिहाज किया जाता कि मंत्री के द्वारा नाम नहीं रखा जाता । अभी जो मैं ने मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को पढ़ा उस का क्या अर्थ है? यही न कि संजीव रेडडी साहब राम सुभग सिंह के मित्र है । . . . (व्यवधान) तो सदन को करने दीजिए । इसलिए मेहरबानी कर के राम सुभग सिंह और कृष्ण चन्द्र पंत जो मंत्री बन चुके है वह यह प्रस्ताव हरगिज न रखें । क्या कांग्रेस पार्टी में कोई गैर सरकारी सदस्य नहीं मिल रहा है संजीव रेडडी का नाम रखने के लिए ? क्या अपने दल में वह इतने अप्रिय हैं कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा उन का नाम रखने के लिए और उन का समर्थन करने के लिए और कोई व्यक्ति नही मिल रहा है ? यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इसलिये मैं आप के मार्फत कहना चाहता हूं कि वह रख नहीं सकते हैं, रखना नही चाहिए अगर प्रणालियों के बारे में, जिसकी कि बकवास बहुत करते हैं यह मंत्री लोग अगर थोड़ा भी लिहाज उस का करना चाहते हैं तो आप अपने नाम पर जो प्रस्ताव है उसे वापस लीजिए ।

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : श्रीमन, जो बातें कही गई हैं, यदि हम रूल्स आफ प्रोसीजर ऐंड कान्डेक्ट आफ बिजनेस इन लोक सभा

[डा० राम सुभग सिंह]

के चैप्टर 3 पर ध्यान दें और नियम 7 (2) को देखें तो उस के अनुसार बात समझ में आ सकती है, इन्होंने जो बकवास की बात कही है, उससे साबित हो जायगा कि हमारी ओर से बकवास होती है या किसकी ओर से होती है।

"At any time before noon on the day preceding the date so fixed, any member may give notice in writing, addressed to the Secretary, of a motion that another member be chosen as the Speaker of the House . "

मुझे पता नहीं है कि हमारे मित्र मधु लिमये जी इतनी इन सारी बातों से सम्पर्क रखते हैं, इस को निगाह मे रखते हुए मित्र और दूसरी बातों की ओर चले गए और इसलिए मैं आप के आदेश के अनुसार यह प्रस्ताव पेश कर रहा हूं।

श्री मधु लिमये आप क्या कह रहे है? उनको अभी निर्णय देना है। आप अध्यक्ष भी बनने लग गए?

अध्यक्ष महोदय मुझसे इस बात की व्यवस्था चाही गई है कि डाक्टर राम सुभग सिंह इस प्रकार का प्रस्ताव यहां रख सकते हैं या नहीं? जो रूल नम्बर 7 है उस मे स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी सदस्य इस तरह का प्रस्ताव रख सकता है। किसी के मिनिस्टर होने का यह अर्थ नहीं है कि सदस्यता चली गई। यदि वह सदस्य हैं तो चाहे वह मिनिस्टर हों या वह मिनिस्टर न हों वह अपना इस प्रकार का प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं। यह मेरी व्यवस्था है।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, एक बात है कि सरदार हुकम सिंह साहब का यह निर्णय है कि सदस्यों में मंत्रियों का शुमार नहीं है। यह उन्होंने कहा है यहां पर। दो तीन बार यह मसला हम ने उठाया था और हुकम सिंह साहब ने कहा था कि सदस्यों में मंत्रियों का शुमार नहीं है। मेरा नहीं है यह निर्णय।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने इस संबंध में अपनी स्पष्ट व्यवस्था दे दी है कि नियम 7 के अनुसार राम सुभग सिंह जी इस प्रकार का प्रस्ताव आप के सामने उपस्थित कर सकते हैं।

डा० राम सुभग सिंह अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री नीलम संजीव रेड्डी को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाय।

I move

"That Shri N Sanjiva Reddy, a Member of this House, be chosen as the Speaker of this House"

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) श्रीमन् मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

I second the motion

अध्यक्ष महोदय प्रस्ताव उपस्थित हुआ कि श्री नीलम संजीव रेड्डी को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाय।

Motion moved:

"That Shri N Sanjiva Reddy, a Member of this House, be chosen as the Speaker of this House".

Shri N. Dandeker (Jamnagar): Sir, I move:

"That Shri Tenneti Viswanathan, a Member of this House, be chosen as the Speaker of this House."

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): Sir, I second the motion.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव उपस्थित हुआ कि श्री तेन्नेटि विश्वनाथन् को जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाय।

अब श्री विश्वनाथन् के सम्बन्ध में और भी कई सदस्यों के प्रस्ताव हैं, चूंकि यह प्रस्ताव यहा पर रख दिये गये हैं। इस लिये अब शेष प्रस्तावों को यहां पर रखने की आवश्यकता नही है।

श्री मधु लिमये · नियम के अनुसार चलिये, सब के प्रस्ताव सामने आ जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : सब को रखू अच्छी बात है।

Shri S. A. Dange (Bombay, Central South): Sir, I move:

> "That Shri Tenneti Viswanathan, a Member of this House, be chosen as the Speaker of this House."

Shri Indulal Yajnik (Ahmedabad): Sir, I second the motion.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव उपस्थित हुआ कि श्री तेन्नेटि विश्वनाथन् को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाय।

Shri P. Ramamoorthy (Sivakashi): Sir, I move:

> "That Shri Tenneti Viswanathan, a Member of this House, be chosen as the Speaker of this House."

Shri Tridib Kumar Chaudhuri (Berhampore): Sir, I second the motion.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव उपस्थित हुआ कि श्री तेन्नेटि विश्वनाथन् को इस सभा का अध्यक्ष चुना जाय।

श्री मधु लिमये : मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री तेन्नेटि विश्वनाथन् को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाय।

Shri A. K. Gopalan (Kasargod): I second the motion.

सभापति महोदय : प्रस्ताव उपस्थित हुआ कि श्री विश्वनाथन को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाय।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी · (बलराम पुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि श्री तेन्नेटि विश्वनाथन् को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाय।

श्री बलराज मधोक (दक्षिणी दिल्ली). मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव उपस्थित हुआ कि श्री विश्वनाथन को जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाय। श्री भानु प्रकाश सिंह। उपस्थित नही हैं, इसलिए उन का प्रस्ताव उपस्थित नहीं हुआ।

Shri R. Umanath (Pudukkottai): Perhaps he is kept in the Congress' detention camp.

Shri K. Ananda Nambiar (Tiruchirappalli): He is missing,? Sir.

अध्यक्ष महोदय : अब आपके सामने दो नाम हैं एक श्री एन० संजीव रेड्डी का और दूसरा श्री तेन्नेटि विश्वनाथन् का। पहला प्रस्ताव श्री रेड्डी का सामने है, इस लिये मैं आपके सामने उस प्रस्ताव को उपस्थित करता हूं, जो उन के पक्ष में हों...

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मतदान से पहले मेरी दूसरी व्यवस्था सम्बन्धी बात सुनिये।

[श्री मधु लिमये]

अध्यक्ष महोदय, दस बजे के पहले मैंने दो प्रस्तावों की सूचना (पूर्व सूचना) आपके कार्यालय को दी है। मेरा प्रस्ताव नियम स० 388 और 184 के मातहत है, जो कि इस प्रकार हैं —

"Any member may, with the consent of the Speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried the rule in question shall be suspended for the time being"

नियम संख्या 184 इस तरह है।

"Save in so far as otherwise provided in the Constitution or in these rules, no discussion of a matter of general public interest shall take place except on a motion made with the consent of the Speaker."

मेरा प्रस्ताव है कि ये निम्न नियम स्थगित किये जाय, ये अध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में हैं, मैं चाहता हू कि नियम स० 7 के उप-नियम 3 और 4 को स्थगित किया जाय। ये उप-नियम इस प्रकार हैं—

"(3) A member in whose name a motion stands on the list of business may, when called, move the motion or withdraw the motion, and shall confine himself to a mere statement to that effect"

(4) The motions which have been moved and duly seconded shall be put one by one in the order in which they have been moved, and decided, if necessary, by division "

मैंने दो प्रस्तावों का नोटिस दिया है। अगर पहला नामन्जूर हो जायगा तो दूसरे का सवाल नहीं आयेगा, परन्तु यदि पहला प्रस्ताव सदन मन्जूर करता है तो दूसरा प्रस्ताव सामने आयेगा। ये दोनों प्रस्ताव इस प्रकार हैं—

"यह सभा निश्चय करती है कि लोक-सभा के नये अध्यक्ष के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्तावों पर नियम स० 7 (4) को निलम्बित किया जाय।"

यानी यह जो डिवीजन के द्वारा मतदान करने वाले हैं, इस सबंधी नियम को स्थगित रखा जाय। यह पास होने पर मेरा नियम स० 184 के मातहत दूसरा प्रस्ताव आयेगा, जो इस प्रकार है—

"यह सभा निश्चय करती है कि लोक-सभा के अध्यक्ष का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा किया जाय।"

मैंने यह प्रस्ताव रखा है, इस पर अब बहस होने दीजिये। नियम निलम्बित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करने का अधिकार केवल मंत्रियों को ही नहीं मिलना चाहिये। हम को भी प्रस्ताव रखने की इजाजत दीजिये। पिछली बार पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सम्बन्ध में श्री सत्य नारायण सिंह को यह अधिकार मिला था, फिर इस बार हम को क्यों नहीं मिल सकता।

डा० राम मनोहर लोहिया (कन्नौज): अध्यक्ष महोदय, फैसला देने के पहले आप और लोगों को भी सुन लीजिये। मुझे भी इजाजत दीजिये, मैं भी कुछ कहना चाहता हू। सब से पहले मुझे आपका ध्यान इस ओर खींचना है

मैं हसने की कोशिश कर रहा हू लेकिन वह कोशिश ज्यादा देर नहीं चल पायेगी। यह खुद एक व्यवस्था का प्रश्न है तो व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था कैसे हो सकती है। (व्यवधान)

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदय, यह उधर के लोग कायदे, कानून तो जानते नहीं हैं व्यर्थ में इस तरह से शोर कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य शान्ति रखें। मैं ने डा० राम मनोहर लोहिया

को बुलाया है इसलिए उन्हें बोलने दिया जाय। ... माननीय सदस्य शान्त रहें।

डा० राम मनोहर लोहिया अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान में राष्ट्रपति जी और इस लोकसभा के अध्यक्ष महोदय को विशेष स्थान दिया गया है। उन के चुनने के बारे में और उन को निकालने के बारे मे दोनो के लिए एक विशेष नियम बनाया गया है। अब जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को साधारण तौर से नही हटाया जा सकता, केवल एक वोट के आधिक्य से अध्यक्ष को नही हटाया जा सकता। उस मे विशेष प्रणाली है। मुझे इस समय उस विशेष प्रणाली की ठीक ठीक याद नही आ रही है, दो तिहाई हो या दो तिहाई से कम हो, ऐसा कुछ नियम है। उस व्यवस्था में लोकसभा का अध्यक्ष एक विशेष अधिकार का स्थान रखता है और इसलिए उस का चुनाव ऐसे ही तरीको से होना चाहिए कि जिस से भारत की जनता इस लोकसभा और सब को तसल्ली हो और लोग समझें कि उन्होने अपने अन्त करण और आत्मा की आवाज के अनुसार वोट दिया है। अन्त करण और आत्मा के अनुसार वोट देना खुले ढग से कभी सम्भव हो नही सकता है। बडे बडे जो अमरीका और यूरोप के जनतत्र हैं वहा पर भी अगर खुला वोट छोड दिया जाता है तो कई तरह के प्रलोभन, कई तरह के अत्याचार, दबाव और चाप इत्यादि चीजे आ जाया करती है। भारत में जहा जनतत्र की अभी शुरूआत हुई है जहा प्रलोभन, चाप और दबाव को राज्य करने का एक निश्चित और जरूरी अग समझा जाता है वहा पर अध्यक्ष का चुनाव कभी भी खुले वोट से नही होना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो यहा न जाने कितने सदस्य अपने अन्त करण और आत्मा को दबा करके वोट डालेंगे बल्कि अपने दल की आज्ञा के अनुसार (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य . नो, नो।

डा० राम मनोहर लोहिया मैं हकीकत बयान कर रहा हू इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि उन सदस्यो को आप इस का मौका दीजिये कि वे गुप्त मतदान करके जो उन के अन्दर की आवाज है उस के अनुसार वह वोट दे और जो अध्यक्ष चुना जाय उस को सचमुच इस लोकसभा का बहुमत प्राप्त हो तभी जा कर के यहा का काम अच्छी तरह से चल सकेगा।

अध्यक्ष महोदय स्वतन्त्रता से पूर्व और उस के बाद में जिस प्रकार अध्यक्ष के चुनाव होते रहे है उन्हे मैं देखता रहा हू। सदा प्रत्यक्ष मतदान हुआ है, गुप्त मतदान नही हुआ। ऐसी हालत मे मै श्री मधु लिमये के प्रस्ताव को यहा पर उपस्थित करने की अनुमति नही देता।

श्री मधु लिमये इसीलिए तो नियम को स्थगित करने की माग की गई है।

Shri S. M. Banerjee: Sir, may I invite your kind attention to rule 388 which reads thus

> "Any member may, with the consent of the Speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried the rule in question shall be suspended for the time being"

His first motion was that the particular rule may be suspended under rule 388, for which he has already given notice at 10 o'clock in the morning and which is admissible under the rules

अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य वही बात दुहरा रहे हैं जिसके विषय में मै अभी कह चुका हू। इस सबन्ध में नियम मे स्पष्ट लिखा हुआ है

> "Any member may, with the consent of the Speaker ..."

[अध्यक्ष महोदय]

यह स्पष्ट कहा गया है इसलिए मैं श्री मधु लिमये के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दे रहा हू।

Shri Surendranath Dwivedy: Sir, whatever might be your ruling, the motion was something different. The motion was for suspension of the rule. You have not put that to the vote of the House. The motion does not say whether the voting should be open or secret. Whatever might be the precedent, it is advisable to have secret voting at this stage. But the present motion is for suspension of the particular rule and you have to put it to the vote of the House.

अध्यक्ष महोदय · जहा तक नियम के सस्पैशन का मामला है वहा तक स्पष्ट कहा गया है रूल 388 में यह दिया हुआ है·

> "Any member may, with the consent of the Speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried the rule in question shall be suspended for the time being."

इस में स्पष्ट कहा गया है कि रूल के सस्पैंशन के सम्बन्ध में मेरी अनुज्ञा की आवश्यकता है। इसलिए मैं ने यह कह दिया कि यह यह जो कहा गया है—ऐनी मैम्बर मे विद दी कंसैंट आफ दी स्पीकर—तो मैं इस प्रस्ताव को यहा पर लाने के लिए अनुमति नही देता।

श्री मधु लिमये · क्यो नही दे रहे है? यह अच्छा आप प्रारम्भ कर रहे हैं कि मंत्री जी जब चाहेगे तब नियम स्थगित करवाये और यदि कोई गैर सरकारी अथवा विरोधी सदस्य कहेगा तो नहीं। क्या चौथी लोकसभा इसी आधार पर चलने वाली है। मैं आप से यह जानना चाहता हूं?

Shri Randhir Singh (Rohtak) Sir, contempt of the House is being committed by the hon. Member. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कुछ कर रहा हूं वह नियम के अनुसार कर रहा हूं। जैसा मैं ने अभी कहा श्री मधु लिमये को प्रस्ताव उपस्थित करने की, जो कि सस्पेंशन आफ रूल के सम्बन्ध में है, मैं उसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं और बिना मेरी अनुमति के इस प्रकार का कोई प्रस्ताव यहां पर उपस्थित नहीं किया जा सकता।

श्री शिव पूजन शास्त्री (बिक्रमगंज) : क्यों नही दे रहे हैं? आपसे प्रस्ताव बताया गया और वह प्रस्ताव पेश हुआ है। अब उस पर आपको मतदान लेना है यह बात दूसरी है कि वह मंजूर होता है कि नही। लेकिन आपने उसकी इजाजत दी है पेश करने के लिए तभी वह पेश हुआ है।

अध्यक्ष महोदय . मै ने बिल्कुल इजाजत नही दी है पेश करने की। मैं ने सिर्फ उनसे यह कहा कि वह अपनी बात कह सकते है रूल 184 के मुताबिक। लेकिन मैं ने यह बिलकुल साफ़ कह दिया कि मैं उनको उस प्रस्ताव को उपस्थित करने की अनुमति नही दे रहा हू और बिना मेरी अनुमति के वह प्रस्ताव उपस्थित नही किया जा सकता।

श्री मधु लिमये : ए दिन के लिए आप अध्यक्ष बने है फिर भी मनमानी कर रहे है।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने आपसे कहा कि मैं कोई व्यवस्था नही दे रहा हू। मैं कोई रूलिंग नही दे रहा हूं बल्कि जो अधिकार मुझे है कि मैं उस प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दू या नही उस अधिकार का उपयोग कर मैं आपसे यह कह रहा हूं कि मैं उस प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति नहीं दे रहा। (व्यवधान)

मैं अब पहला प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :—

> "कि श्री एन० संजीव रेड्डी को, जो इस सभा के सदस्य हैं, अध्

सभा का अध्यक्ष चुना जाये।"

जो पक्ष में हों वे "हां" कहेंगे। जो विरुद्ध हो वे "ना" कहेंगे। (व्यवधान)

Shri Surendranath Dwivedy: Sir, before you put it to the vote of the House I wish to make an appeal to you. We have heard your ruling. It is all right, it has been done on a previous occasion and you have gone by precedent. But there is no harm if we create a new precedent. The Speaker occupies a position, as you will realise, where he is the custodian of the House. Now a party-man is sought to be made the Speaker. If open voting is done, it will be known to all persons who have voted against the particular candidate and when he becomes the Speaker he may—I hope he will not—be prejudiced against those particular Members. So it is very much necessary to have the healthy convention to give the Members an opportunity to cast their votes in secret. I do not think there will be any harm if we do that. Therefore, I would appeal to you, and I would also request the Congress Party, to accept this suggestion and let us have secret voting on this occasion.

Shri A. K. Gopalan: This is a very bad beginning. I would request you not to begin like this. They have got the majority and they can reject any motion. We do not mind it. But, let them not behave like this. It has to be put to the vote. Otherwise, this will be a very bad beginning. On the very first day we should not begin like this. So, I would request you to see that the motion is put to the vote. If the motion is rejected by a majority of the members we will agree to that rejection. But if the motion is not even put to the vote, it is not a very good beginning for this Parliament.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, नियमों के अनुसार आपको इस बात का अधिकार प्राप्त है कि आप श्री मधु लिमये को नियमों में संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करने की इजाजत दें अथवा नहीं। यह अधिकार आपको प्राप्त है, और इस अधिकार का आपने उपयोग भी किया है। इसके लिये आपने पुरानी परम्पराओं का हवाला दिया है। मैं भी चाहता हूं कि इस सदन में परम्परायें चले, स्वस्थ परंपरायें डाली जायें। लेकिन मैं बड़े कष्ट के साथ आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से अध्यक्ष पद के लिए एक नाम आया है, और जिस तरह से दूसरा नाम आया है कांग्रेस दल की ओर से, उससे स्वस्थ परम्परा डालने के लिए कांग्रेस दल उत्सुक है इस का सबूत नही मिलता।

अध्यक्ष महोदय : उन का नाम यहां पर उपस्थित नही किया गया। उन के प्रस्तावक नही थे, इसलिये नाम पर आपत्ति नही की जा सकती।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी . मैं आपत्ति नही कर रहा हूं। लेकिन इस बात से कोई इनकार नही कर सकता कि इस आर्डर पेपर पर दो कांग्रेसजनों के नाम लिखे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय . किसी कागज पर दस नाम लिखे जा सकते हैं, मुझसे इसमे कोई मतलब नहीं है। प्रस्ताव को उपस्थित करने के लिए जो प्रस्तावक थे मैं ने उन को बुलाया, लेकिन वे उपस्थित नही थे, इसलिए एक ही नाम श्री सर्जन रेड्डी का रक्खा गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी . इसीलिये इस मांग में बल पैदा हो गया है कि आप मतदान गुप्त रीति से करायें। यह कोई अनुचित मांग नहीं है, और अगर कांग्रेस दल को अपने दल के किसी व्यक्ति पर कोई सन्देह नही है तो वह गुप्त मतदान के लिये तैयार क्यों नही है।

Shri Randhir Singh: How can you allow this discussion when voting is going on?

एक माननीय सदस्य : क्या उचित है कि बीच में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाये ?

Shri Krishna Kumar Chatterjee: Sir, I rise on a point of order. Can the ruling of the Chair be discussed like this? When a rulng has been given by the Chair, can it be discussed? That is my point and I want your ruling on my point of order.

श्री मणिभाई जे० पटेल (दमोह) : सभापति की व्यवस्था के बाद यदि विरोधी पार्टियां यह प्रश्न दस बार उठाती हैं तो आप कब तक इसकी इजाजत देंगे, यह मैं पूछना चाहता हूं । एक बार माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था हो चुकी है, इस बारे में निर्णय हो चुका और निर्णय होने के बाद आपने खुलासा कर दिया । उसके बाद आप कितना समय इसके लिये देंगे और कितनी बार इजाजत देंगे ।

श्री अब्दुल गनी (गुड़गाव) : अगर आप गांधी जी के सच्चे चेले हैं तो आपको इस बात को छोड़ देना चाहिये और गांधी जी की बात माननी चाहिये । आप एक पार्टी के हैं । आप फैसला न दीजिये, आप किसी ऐसे आदमी को जो निष्पक्ष हो बिठाइये, ताकि इस बात के साथ इन्साफ हो सके । मैं उम्मीद करता हूं कि एक गांधीवादी होने के नाते आप इसको महसूस करेंगे कि अपोजीशन के साथ बेइन्साफ़ी नहीं होनी चाहिये । आप यहां ऐसे आदमी को बिठलाइये जो निष्पक्ष हो ताकि वह सुन सके कि हम क्या कहते हैं ।

श्री मधु लिमये : मेरी व्यवस्था का तीसरा प्रश्न मतदान के पूर्व बहस कराने के सम्बन्ध में है । हमारे जो नियम हैं उन में . . . . .

डा० महादेव प्रसाद (महाराजगंज) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न इसके उठाने के सम्बन्ध में है . . . . .

अध्यक्ष महोदय : वही प्रश्न बार-बार घूम-घूम कर आता है, मतदान के सम्बन्ध में । पहली बात है कि इस रूल को सस्पेंड करने की मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । यह मैंने स्पष्ट कह दिया है । चूंकि मैं रूल को सस्पेंड नहीं कर रहा हूं इसलिये गुप्त मतदान का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । और जो भी बातें मुझे सुननी थी, मैं ने उनको सुन लिया है । चूंकि मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं इसलिये हमारे सामने यही बात रह जाती है कि मैं प्रस्ताव आप के सामने मतदान के लिए उपस्थित करूं ।

श्री मधु लिमये मैं मतदान के बारे में नहीं कह रहा हूं । मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । मेरा प्रश्न मतदान के सम्बन्ध में नहीं है । जब कभी अध्यक्ष पद के लिये एक से अधिक उम्मीदवार . . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य शान्त रहें ।

श्री मधु लिमये : जब अध्यक्ष पद के लिये एक से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो इंग्लैंड में यह प्रणाली है कि बहस हो, और हमारे नियमों में कोई भी वाक्य ऐसा नहीं जिस से इस बहस पर पाबन्दी हो । इसलिये मैं यह व्यवस्था का प्रश्न रख रहा हूं । इस सम्बन्ध में मेज़ पार्लियामैन्ट्री प्रैक्टिस में पृष्ठ 284 पर साफ लिखा हुआ है कि :

"If another Member be proposed, a similar motion is made and seconded in regard to him; and both the candidates address themselves to the House."

इस लिये मेरी पहली मांग है कि श्री संजीव रेड्डी साहब भी यहां आकर यह अध्यक्ष पद के लिये कैसे लायक हैं यह सारे सदन को बतलायें . . (व्यवधान) अब यह सारे लोग क्यों खड़े हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब सब लोग बैठ जायें ।

Shri Krishna Kumar Chatterjee: He is monopolizing the House.

Shri Randhir Singh: He should not be allowed to speak (*Interruption*)

श्री मधु लिमये इस के बाद हमारे उम्मीदवार भी सदन के सामने आयेंगे। आगे चल कर यह कहा गया है कि

> "A debate ensues in relation to the claims of each candidate, in which the Clerk continues to act as presiding officer"

अब क्या मै यह समझू कि आज से यह किताब खत्म हुई। यह कह दीजिये। फिर उसके बाद ससदीय प्रणाली, शोभा, प्रतिष्ठा, यह बाते किसी के मुह से सुनने के लिये मैं तैयार नही हू। यदि आप ससदीय प्रणाली पर जाते है तो यह बिलकुल मेज पालियामेन्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार है कि श्री सजीव रेड्डी अपने को लायक साबित करे। हमारे उम्मीदवार तैयार हैं अपने को लायक साबित करने के लिये। दूसरे लोग भी करें।

अध्यक्ष महोदय जहा तक हमारा सम्बन्ध है स्वतन्त्रता के बाद हम ने अपने नियम बनाये हैं हम ने अपनी परम्पराये स्थापित की हैं, और इस प्रकार की कोई हमारी कोई परम्परा या नियम नही है जैसा श्री लिमये कह रहे हैं। इस लिये हम अपनी परम्पराओ के अनुसार चलते है। हमारी परम्पराओ मे इस प्रकार की कोई परम्परा नही है कि सब उम्मीदवारो को खडे हो कर उन मे क्या काबिलियत है इसका इजहार करना चाहिये। इस लिये जो पहला प्रस्ताव है उस को मैं आप के सामने रख रहा हू।

श्री राम सेवक यादव : नई प्रणाली प्रारम्भ होनी चाहिये . (व्यवधान)

श्री मधु लिमये : नई और अच्छी।

डा० राम मनोहर लोहिया · हमारी पुरानी परम्पराए अगर किसी चीज के लिये बाधक हो, किसी चीज को मना करे तब उस को आप यहा मत शुरू कीजिये। लेकिन पुरानी परम्पराओ मे कोई ऐसी बात नही है जिस से आज को इस नई प्रणाली को शुरु न किया जा सकें। अगर पुरानी परम्पराये बाधक होती हैं तब आप अलबत्ता इस तर्क को दे सकते हैं। लेकिन यह प्रणाली आज आपके सामने रक्खी गई है उस के ऊपर आप खुद अलग ढग से विचार करे पुरानी परम्परा अगर कोई खत्म करना चाहता है और आप कह देते हैं कि यह नही हो सकता है तब बात अलग है लेकिन जो पुरानी परम्पराये हैं वे तो खाली आपको यह बताती है कि अब तक एक प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। उस एक प्रणाली मे यह कही नहीं कहा गया है कि किसी दूसरी प्रणाली का इस्तेमाल हो ही नही सकता है। यह दूसरी प्रणाली आपके सामने आ गई है। इसलिये मैं आपके अन्त करण और आपकी आत्मा से अपील करना चाहता हू कि आप इस पर जरूर विचार करे। आप अपने दल के सदस्यो को अपनी आत्मा मे कुछ भी जगह दे —अगर देना चाहते हैं तो —लेकिन इस पर आप जरूर विचार करे। वर्ना वही सचेतक के हिसाब से यह काम चल जाएगा।

श्री राम सेवक यादव · हम आशा करेगे कि आप जैसे व्यक्ति द्वारा कुछ नई परम्पराए डाली जाएगी, स्वस्थ्य जनतत्रीय परम्परा डाली जाएगी। मैंने कई बार सदन मे सुना है और जब जब हुआ है अध्यक्ष महोदय की ओर से और उस ओर बैठे हुए सदस्यो की ओर से मेज पालियामेंट्री प्रैक्टिस के उद्धरण दिये गये हैं। मेज पालियामैंटरी प्रैक्टिस से हमारे लिमये साहब ने भी उद्धरण प्रस्तुत किया है कि यदि इस तरह की स्थिति हो तो दोनो उम्मीदवार सदन के सामने आयें और अपनी बात रखें। मैं समझता हू कि इस चीज़ को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

[श्री राम सेवक यादव]

जहां तक हमारे नियमों का सम्बन्ध है, हमारी नियमावली का प्रश्न है, उस में कहीं कोई बाधा नहीं है, इस प्रकार का कोई नियम नहीं है कि जो इस परम्परा को आज अगर हम लागू करना चाहें तो हमें ऐसा करने से रोकता हो। इस वास्ते हमें चाहिये कि हम स्वस्थ परम्परा डालें। आखिरकार कांग्रेस वाले क्यों परेशान हैं? बहुमत इनका है। उसके बल पर ये जो चाहें करा सकते हैं। लेकिन स्वस्थ परम्परा यदि कोई स्थापित करना चाहता है तो उस में ये क्यों बाधा डालते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है। डीसेंसी और डेकोरम के नाम पर न जाने क्या क्या बातें कहीं गई हैं। आज स्वस्थ परम्परा डालने की बात है। इसको क्यों मानने के लिए ये तैयार नहीं हैं, समझ में आने वाली बात नहीं है चतुर्थ लोक सभा की शुरुआत उस तरह से नहीं होनी चाहिये जिस तरह से होने जा रही है, स्वस्थ्य परम्परा, जनतंत्रीय परम्परा डाल कर इसकी शुरुआत होनी चाहिये।

श्री अब्दुल गनी : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप इस नेक रस्म को डालें। श्री संजीव रेड्डी जो कांग्रेस के प्रधान भी रह चुके हैं और एक माने हुए सदस्य हैं, यह आ कर अपने विचार रखें कि किस तरह से वह इसको चलायेंगे, कैसे वह अपने को इस काबिल बनायेंगे कि वह सारे हाउस का एतमाद-अपोजीशन का भी और आफिशल पार्टी का भी—ले सकें। हो सकता है कि हमारे नेता जो अपोजीशन के बैठे हुए हैं वे सब के सब उनके हमखयाल हो जाएं और कहें कि श्री संजीव रेड्डी ही प्रधान पद सम्भालें। मेरी दरख्वास्त है कि आप उनको मौका दीजिये। यह भी हो सकता है कि विश्वनाथन जी की बात सुन कर इन्दिरा जी के दिमाग में यह बात आ जाए कि इनको बनना चाहिये, यह अच्छी तरह से कारंवाई को चला सकेंगे। मैं समझता हूं कि यह बड़ी मुबारिक बात होगी कि आप के वक्त में यह चीज हो जाए। श्री विट्ठल भाई पटेल जब यहां प्रधान पद पर थे तब उन्होंने ऐसी बातें चलाई थीं जो देश के हित में थीं जिन से देश का वकार बढ़ा था। मैं समझता हूं कि मेरे भाई जो इस वक्त प्रधान बन कर बैठे हुए हैं, जो गांधीवादी हैं और जिन की जिन्दगी सारे मुल्क के सामने है, इस चीज का साथ देंगे। अगर उनकी बातों को सुन कर कोई अपनी राय बदल सकें तो हाउस का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर संजीव रेड्डी साहब महसूस करते हैं कि वह इस काबिल नहीं हैं, उनको पार्टी जबर्दस्ती इस पद पर बिठा रही है, और वह समझते हैं कि उनको नहीं आना चाहिये तो उनको कह देना चाहिये कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं इन्साफ नहीं कर सकूंगा, मैं पार्टी से ऊपर नहीं उठ सकूंगा, मैं अपोजीशन को सम्भाल नहीं सकूंगा और वैसी सूरत में विश्वनाथन जी को मौका दीजिये कि वह यकीन दिलायें कि वह पार्टी बाजी से ऊपर उठकर काम करेंगे। आप से मेरी प्रार्थना है कि गांधीवादी होने के नाते आप इस हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लें।

Shri P. Ramamurti (Madurai): The procedure that you are adopting places the members of this House in a difficult position. After all, many of us may not know who this Sanjiva Reddy or who this Tenneti Viswanathan is. (*Interruptions*). After all, many members who have been elected and who do not come from anywhere near the place of Mr. Sanjiva Reddy or Mr. Tenneti Viswanathan may not know who these people are. Therefore, we are placed in a very embarrassing position with regard to voting. After all, the election is to the office of the Speaker; the Speaker's job is a very important job. Therefore, every member has got to exercise his vote after understanding the implications of that; the members should be given an opportunity to exercise their vote after understanding the implications

and after knowing the qualifications of every member who wants to stand for Speakership. (*Interruptions*). This is not treated as a normal election. If it is a normal election, secret ballot and all those things will be there, but here is a motion, and on a motion it is certainly open to every member to express his view with regard to a particular motion as to why he wants the other members of the House do support him and to reject the other motion. Therefore, in order to give the opportunity to every member to exercise his right in a proper way, in an efficient way, in order to see that the dignity of the House is protected hereafter, during the next five years—it is absolutely necessary that every member should be given that opportunity—it is absolutely essential for the two candidates themselves to address this House and tell us what they are (*Interruptions*). That itself will give the members an opportunity to know the capacity of these two candidates and to find out whether they are fit enough to hold this august office.

एक माननीय सदस्य : हमें भी बोलने दिया जाए। एक उधर से और एक इधर से आप बुलायें। आप उधर से बुलाते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बनर्जी साहब को बुलाया है। आप बैठ जायें। आपको भी बोलने का मैं अवसर दूंगा।

Shri S M. Banerjee: I fully support Shri Madhu Limaye that a healthy convention should be followed. In this House we generally follow the conventions of the House of Commons, and this particular convention was read out by him. I fail to understand this: why should Mr. Sanjiva Reddy, who is the prospective candidate of the ruling Party for Speakership, not face this House which he has to face if he is unfortunately elected for five years? (*Interruptions*). I only want to know who is this Sanjiva Reddy. I was a member of this House. In this House I have discussed the conduct of one Sanjiva Reddy who was in the Congress and who did not have a clean slate. I want to know whether he is the same Sanjiva Reddy and in that case, I would not like to vote for him. So I want to request you to create a healthy convention in this House and allow both the candidates to appear before this august House and say something about themselves.

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai: It will not be proper for us to make reflections on those who are to be elected Is it proper for this House to make reflections against them?

Shri S. M. Banerjee: What reflection?

Shri Morarji Desai: It was just now said. I do not want to repeat those arguments because that will be repeating the reflection. I do not think that it will be conducive to the high office or to the dignity of the high office if these two gentlemen have to come here and speak about themselves and then a debate ensues on them and all sorts of things are said This is not inkeeping with our practice in any case Therefore, I am raising this point of order in this way that we cannot go on having this debate when it has already been disallowed by the Speaker.

12.00 hrs.

अध्यक्ष महोदय : श्री मोरारजी देसाई ने अपने व्यवस्था के प्रश्न में जो विचार प्रकट किया है, मैं उस से बिल्कुल सहमत हूं और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कोई वाद-विवाद यहां होना ठीक नहीं है। इस लिए मैंने उस प्रस्ताव को उपस्थित करने की अनुमति नहीं दी और इस सम्बन्ध में मैंने उन परम्पराओं का जिक्र किया, जो इस सदन में प्रचलित रही हैं। मैं इस बात को उचित नहीं समझता कि श्री संजीव रेड्डी और श्री विश्वनाथन यहां पर

[अध्यक्ष महोदय]

अपनी अपनी योग्यताओं के सम्बन्ध में बयान दें। इतने पर भी चूंकि सदन पहली बार समवेत हो रहा है, इसलिए मैं ने यहां पर अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने की अनुमति दी, यद्यपि उस की आवश्यकता नहीं थी।

अब चूंकि काफी वाद-विवाद हो चुका है, इस लिए मैं नियम के अनुसार पहला प्रस्ताव सदन के मतदान के लिए उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है —

> 'कि श्री एन० संजीव रेड्डी को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाये।"

गोष्ठी-कक्षों को खाली किया जाये।

अब मैं आप को वह प्रणाली बताता हूं, जिसके अनुसार मतदान होगा। चूंकि माननीय सदस्यों के नाम उन की सीटों पर नहीं लिखे गए हैं, इस लिए यन्त्र के द्वारा मतदान करना सम्भव नहीं है। प्रणाली यह है कि सदस्यों को उन के मत रिकार्ड करने के लिए 'हां" अथवा "ना' की छपी पर्चियों में से, जो भी लेना चाहेंगे, उन के स्थान पर दी जायेंगी। इन पर्चियों पर सदस्य, पर्ची फार्म पर निश्चित स्थानों पर, अपने हस्ताक्षरों के नीचे अपने नाम साफ साफ लिख कर अपने मत रिकार्ड करेंगे। अपना मत रिकार्ड करने के तुरन्त पश्चात प्रत्येक सदस्य अपनी पर्ची को स्वयं अथवा उस मत-विभाजन क्लर्क के जरिये, जो पर्चियां देने के पश्चात उन के स्थान पर जायेगा, सभा-पटल के निकट बैठे अधिकारियों को देगा।

श्री मधु लिमये यह नियम के विपरीत है।

Mr. Speaker· Members will now be supplied at their seats with 'Ayes' or 'Noes' printed slips according to their choice for recording their votes. On these slips members will record their votes by writing their names legibly below their signatures at the places specified on the slip form Immediately after recording his vote, each member should pass on his slip either by himself or through the Division clerk who will call upon his seat after distribution of the slips, to the officers at the Table

The Lok Sabha divided

Division No I] AYES [12 39 hrs.

Achal Singh, Shri
Agadi, Shri S A
Ahirwar, Shri Nathu Ram
Aga, Shri Ahmad
Ahmad, Dr. I
Ahmed, Shri F A
Anjanappa, Shri B
Ankineedu, Shri
Anthony, Shri Frank
Arumugam, Shri R. S
Asgar Husain, Shri
Avdhesh Chandra Singh, Shri
Azad, Shri Bhagwat Jha
Baburnath Singh, Shri
Bajaj, Shri Kamalnayan
Bajpai, Shri Shashibhushan
Bajpai, Shri Vidya Dhar
Barrow, Shri
Barua, Shri Bedabrata
Barua, Shri R
Barupal, Shri P L
Baswant, Shri
Besra, Shri S C
Bhagat, Shri B R
Bhagavati, Shri
Bhakt Darshan Shri
Bhandare, Shri R D
Bhanu Prakash Singh, Shri
Bhargava, Shri B N
Bhattacharyya, Shri C K
Bhola Nath, Shri
Bist, Shri J B S
Bohra, Shri Onkarlal
Brahm Prakash, Shri
Buta Singh, Shri
Chanda, Shri Anil K
Chanda, Shrimati Jyotsna
Chandrika Prasad, Shri
Chatterji, Shri Krishna Kumar
Chaturvedi Shri R L
Chaudhary Shri Nitiraj Singh
Chavan, Shri D R
Chavan, Shri Y B
Chhatrapati, Shrimati Vijamala
Choudhury, Shri J. K.
Choudhury, Shri Valmiki
Dalbir Singh, Shri
Damani, Shri S R
Das, Shri N T
Deoghare, Shri N R.
Desai, Shri Morarji
Deshmukh, Shri B D
Deshmukh, Shri K. G
Deshmukh, Shri Shivajirao S
Devinder Singh, Shri
Dhillon, Shri G. S.
Dhuleshwar Meena, Shri

Dinesh Singh, Shri
Dixit, Shri G. C.
Ering, Shri D.
Gajraj Singh Rao, Shri
Gandhi, Shrimati Indira
Ganesh, Shri K. R.
Ganpat Sahai, Shri
Gautam, Shri C. D.
Gavit, Shri Tukaram
Ghansara Singh, Shri
Ghosh, Shri Bimalkanti
Ghosh, Shri P. K.
Ghosh, Shri Parimal
Gupta, Shri Lakhanlal
Gupta, Shri Ram Kishan
Hajarnawis, Shri
Hanumanthaiya, Shri
Hari Krishna, Shri
Hazarika, Shri J. N.
Hem Raj, Shri
Himatsingka, Shri
Hiril, Shri
Iqbal Singh, Shri
Jadhav, Shri Tulshidas
Jadhav, Shri V. N.
Jagaiah, Shri K.
Jagjiwan Ram, Shri
Jamir, Shri S. C.
Kahandole, Shri
Kamble, Shri
Kamala Kumari, Shrimati
Kasture, Shri A. S.
Katham, Shri B. N.
Kavade, Shri B. R.
Kedaria, Shri C. M.
Keshri, Shri Sitaram
Khadilkar, Shri
Khan, Shri M. A
Khanna, Shri P. K.
Kinder Lal, Shri
Kirit, Shri Manikya
Kotoki, Shri Liladhar
Kripalani, Shrimati Sucheta
Krishna, Shri M. R.
Krishnan, Shri G. Y.
Krishnappa, Shri M. V.
Kureel, Shri B. N.
Kushok Bakula, Shri
Lakshmikantamma, Shrimati
Lalit Sen, Shri
Laskar, Shri N. R.
Laxmi Bai, Shrimati
Lutfal Haque, Shri
Madho Ram, Shri
Mahadeva Prasad, Dr.
Maharaj Singh, Shri
Mahida, Shri Narendra Singh
Mahishi, Dr. Sarojini
Malhotra, Shri Inderjit
Malimariyappa, Shri
Mandal, Shri Yamuna Prasad
Mane, Shri Shankarrao
Marandi, Shri
Masuria Din, Shri
Mehta, Shri Asoka
Melkote, Dr.
Menon, Shri Govinda
Minimata, Shrimati Agan Dass Guru
Mirza, Shri Bakar Ali
Mishra, Shri Bibhuti
Mishra, Shri G. R.
Mohammad Yusuf, Shri
Mohsin, Shri
Mohinder Kaur, Shrimati
Mondal, Shri J. K.
Mondal, Dr. P.
Mrityunjay Prasad, Shri
Mudrika Singh, Shri
Mukerjee, Shrimati Sharda
Mukne, Shri Yeshwantrao
Murthi, Shri B. S.
Murti, Shri M. S.
Nageshwar, Shri
Naghnoor, Shri M. N.
Nahata, Shri Amrit
Naidu, Shri Chengalraya
Nanda, Shri
Nayar, Dr. Sushila
Nesamony, Shri
Oraon, Shri Kartik
Padmavati Devi, Shrimati
Padadia, Shri
Pandey, Shri K.N.
Pandey, Shri Vishwa Nath
Pandit, Shrimati Vijaya Lakshmi
Panigrahi, Shri Chintamani
Pant, Shri K.C.
Parmar, Shri Bhaljibhai
Partap Singh, Shri
Parthasarathy, Shri
Patel, Shri Manibhai J
Patel, Shri Manubhai
Patel, Shri N. N.
Patil, Shri A. V.
Patil, Shri C. A.
Patil, Shri Deorao
Patil, Shri S. B.
Patil, Shri S. D.
Patil, Shri T. A.
Poonacha, Shri C. M.
Pradhani, Shri K.
Pramanik, Shri J. N.
Prasad, Shri Y. A.
Qureshi, Shri Shafi
Radhabai, Shrimati B. K.
Raghu Ramaiah, Shri
Raj Deo Singh, Shri
Rajani Gandha, Kumari
Rajasekharan, Shri
Raju, Shri D. B.
Raju, Shri D. S.
Ram Dhani Das, Shri
Ram Kishan, Shri
Ram Subhag Singh, Dr.
Ram, Shri T.
Ram Dhan, Shri
Ram Sewak, Shri
Ram Swarup, Shri
Ramesh Chandra, Shri
Rampur Mahadevappa, Shri
Ramshekhar Prasad Singh, Shri
Rana, Shri M. B.
Randhir Singh, Shri
Rane, Shri
Rao, Shri Jagannath
Rao, Dr. K. L.
Rao, Shri K. Narayana
Rao, Shri Muthyal
Rao, Shri J. Ramapathi
Rao, Shri Rameshwar
Rao, Shri Thirumala
Rao, Dr. V.K.R.V.
Raut, Shri Bhola
Reddi, Shri G. S.
Reddy, Shri Ganga
Reddy, Shri P. Anthony
Reddy, Shri R. D.
Reddy, Shri N. Sanjiva
Reddy, Shri Surendar
Rohatgi, Shrimati Sushila
Roy, Shri Bishwanath
Roy, Shri Chittaranjan
Roy, Shrimati Uma
Sadhu Ram, Shri
Saha, Shri S.K.
Saigal, Shri A. S.
Saleem, Shri M.Y.
Salve, Shri N.K.
Sambasivam, Shri
Sanghi, Shri N.K.
Sanji Rupji, Shri
Sankata Prasad, Dr.
Sant Bux Singh, Shri
Sarma, Shri A.T.
Savitri Shyam, Shrimati
Sayyad Ali, Shri
Sen, Shri Dwaipayan
Sen, Shri P.G.
Sethi, Shri P. C.
Sethuraman, Shri N.
Shah, Shrimati Jayaben
Shah, Shri Manabendra
Shah, Shri Shantilal
Shambhu Nath, Shri
Shankaranand, Shri
Sharma, Shri D. C.
Shashi Ranjan, Shri
Shastri Shri B.N.
Shastri, Shri Ramanand
Sheo Narain, Shri
Sher Singh, Prof.
Sheth, Shri T. M.
Shinde, Shri Annasahib
Shiv Chandrika Prasad, Shri
Shivananjappa, Shri
Shukla, Shri S. N.
Shukla, Shri Vidya Charan
Siddayya, Shri

Sidheshwar Prasad, Shri
Singh, Shri D. N.
Singh, Shri D. V.
Sinha, Shri R. K.
Sinha, Shri Satya Narayan
Sinha, Shrimati Tarkeshwari
Snatak, Shri Nar Deo
Solanki, Shri S. M.
Sonar, Shri A. G.
Sonavane, Shri
Sundaranam, Shri M.
Sundar Lal, Shri J.
Sunder Lal, Shri
Supakar, Shri Sradhakar
Surendra Pal Singh, Shri
Suryanarayana, Shri K.
Swamy, Shri G Venkat
Swaran Singh, Shri
Tamaskar, Shri
Tarodekar, Shri V. B.
Tiwary, Shri D. N.
Tiwary, Shri K N
Tripathi, Shri K. D.
Tula Ram, Shri
Tulsidas, Shri
Uikey, Shri M. G.
Ulaka, Shri Ramachandra
Veerappa, Shri Ramachandra
Venkatasubbaiah, Shri P.
Verma, Shri Balgovind
Verma, Shri P. C.
Yadab, Shri N. P.
Yadav, Shri Chandra Jeet

NOES

Abdul Gani, Shri
Abraham, Shri K. M.
Adichan, Shri P. C.
Ahmed, Shri J.
Amat, Shri D.
Amersey, Shri M.
Amin, Prof. R K.
Amin, Shri Ramchandra J.
Anbazhagan, Shri
Anbuchezhian, Shri
Anirudhan, Shri K.
Atam Das, Shri
Badrudduja, Shri
Banerjee, Shri S N
Barua, Shri Hem
Basi, Shri S. S.
Basu, Shri Jyotirmoy
Basu, Dr Maitreyee
Behara, Shri Baidhar
Berwa, Shri Onkar Lal
Bhadoria, Shri Arjun Singh
Bhagaban Das, Shri
Bharat Singh, Shri
Bharti, Shri Maharaj Singh
Birla, Shri R. K
Biswas, Shri J M
Bramhanandji, Shri
Brij Bhushan Lal, Shri
Brij Raj Singh—Kotah, Shri
Brijendra Singh, Shri
Chakrapani, Shri C. K.
Chandra Shekhar Singh, Shri
Chatterjee, Shri H. P.
Chatterjee, Shri N. C.
Chaudhuri, Shri Tridib Kumar
Chittybabu, Shri C.
Chowdhury, Shri B.K. Das
Dandeker, Shri N.
Dange, Shri S. A.
Deiveekan, Shri
Deo, Shri K.P. Singh
Deo, Shri P. K.
Deo, Shri R.R. Singh
Desai, Shri C. C.
Desai, Shri Dinkar
Devgun, Shri Hardayal
Dhandapani, Shri
Dhirendranath, Shri
Digvijai Nath, Mahant
Dipa, Shri A
Dwivedy, Shri Surendranath
Esthose, Shri P. P.
Ghosh, Shri Ganesh
Giriraj Saran Singh, Shri
Goel, Shri Shri Chand
Gopalan, Shri A. K.
Gopalan, Shri P.
Gopalan, Shrimati Suseela
Gopalan, Shri D S
Gounder, Shri C Muthusamy
Goundar, Shri Muthu
Gowd, Shri Gadilingana
Gowda, Shri M H.
Gowder, Shri Nanja
Guha, Prof Samar
Gupta, Shri Indrajit
Gupta, Shri Kanwarlal
Haldar, Shri K
Jageshwar, Shri
Jai Bahadur Singh, Shri
Jamna Lal, Shri
Janardhanan, Shri C
Jena, Shri D D
Jha, Shri Bhogendra
Jha, Shri S C
Joshi, Shri Jagannath Rao
Joshi, Shri S.M
Kachhavaiya, Shri Hukam Chand
Kalita, Shri Dhireswar
Kamalanathan, Shri
Kameshwar Singh, Shri
Kandappan, Shri S.
Kapoor, Shri Lakhan Lal
Karni Singh, Dr
Kaushik, Shri K.M.
Kedar Paswan, Shri
Khan, Shri Ajmal
Khan, Shri Ghayoor Ali
Khan, Shri Latafat Ali
Khan, Shri Zulfiquar Ali
Kikar Singh, Shri
Kiruttinan, Shri
Kisku, Shri A. K.
Kothari, Shri S. S.
Krishnamoorthi, Shri V.
Kuchelar, Shri G.
Kundu, Shri S.
Kunte, Shri Dattatraya
Kushwah, Shri V S.
Lakkappa, Shri K
Limaye, Shri Madhu
Lobo Prabhu, Shri
Lohia, Dr Ram Manohar
Madhok, Shri Bal Raj
Madhukar, Shri K.M
Maity, Shri S N.
Majhi, Shri M
Mandal, Shri B. P
Mangalathumadom, Shri
Manoharan, Shri
Marandi, Shri
Mayavan, Shri
Meetha Lal, Shri
Meghchandra, Shri N
Menon, Shri V V.
Misra, Shri Srinibas
Modak, Shri B K
Mody, Shri Piloo
Mohamed Imam, Shri
Mohammad Ismail, Shri
Mohan Swarup, Shri
Molahu, Shri
Mukerjee, Shri H N
Mulla, Shri A N
Naidu, Shri Ramabadra
Naik, Shri G C.
Naik, Shri R. V
Nair, Shri N. Sreekantan
Nair, Shri Vasudevan
Nambiar, Shri
Narayanan, Shri
Nayanar, Shri E K
Nayar, Shri K. K.
Nayar, Shrimati Shakuntala
Nihal, Shri
Nirlep Kaur, Shrimati
Onkar Singh, Shri
Padanatha, Shri Muhammed S.
Pandey, Shri Sarjoo
Parmar, Shri D. R.
Patel, Shri Babubhai